प्रेषक,

जीवेश नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांक 09 दिसम्बर, 2014

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय-3 (नीति, लक्ष्य एवं कार्यान्वयन रणनीति) के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश और देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित एवं विकसित कर उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, उद्योग मित्रवत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण एवं व्यावसायिक वातावरण का निर्माण किये जाने तथा राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना एवं राज्य में इलेक्ट्रिानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार के अवसर को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-870/78-1-2014-87आई0टी0/2014, दिनांक 29 अगस्त, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अनतर्गत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन दिये जाने का संकल्प लिया गया है। इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय-3 के अन्तर्गत नीति के कार्यान्वयन हेतु निम्नवत् रणनीति अंगीकृत किये जाने की व्यवस्था है:-

3.3 अवस्थापना विकास

राज्य में व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना के लिए इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण संकुल (Electronics Manufactring Clusters) की स्थापना पर बल दिया जायेगा। ये EMCs

- ज्ञान आधारित नव-प्रयोगों एवं प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक क्षेत्रों के सृजन, व्यक्ति-कारित नव-प्रयोग तथा वैश्विक नेटवर्किंग।
- पर्यावरण सम्बन्धी बिन्दुओं के अनुश्रवण व प्रबन्धन की उच्च क्षमता।
- नगरीय परिवहन में सुधार तथा अधिक संरक्षित नगरीय स्थल।
- भूमि, विद्युत (24X7 गुणवत्तायुक्त निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति), पानी, सड़क इत्यादि जैसी आधारभूत अवस्थापना सुविधायें प्रदान करने में सहायक होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

3.4 मानव पूंजी विकास

मानव पूंजी का विकास इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग की प्रगति के लिए वांछित कौशल के विकास हेतु उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सामर्थ्य प्रदान किये जाने की नींव है। एक सामर्थ्यवान तकनीकी जनशक्ति तथा एक ज्ञानवान समुदाय का एक वृहद स्त्रोत होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा प्रासंगिक प्रमाणीकरण के साथ साथ स्टार्ट-अप, उद्यमिता, शोध एवं विकास को प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक EMC में इन्क्यूबेटर केन्द्रों की स्थापना पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

राज्य सरकार नव-प्रयोगों, शोध एवं विकास, ज्ञान-अन्तरण, सामरिक-गठजोड़ एवं सहयोग के लिए इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा शीर्ष कारपोरेट के साथ वैश्विक साझेदारी के लिए भी उत्सुक है।

3.5 ई-अपशिष्ट प्रबन्धन (e..Waste handing)

वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप हानिकारक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबन्ध सहित, **e-waste handling (management and Handling) Rules 2011** का क्रियान्वयन सहज बनाने हेतु उद्योग के साथ मिलकर एक तँत्र का निर्माण। राज्य में उत्पन्न ई-अपशिष्ट के लिए ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग **(recycling industry)** को प्रोत्साहन।

2 अत: अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम में अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजिनक उपक्रमों में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जीवेश नन्दन
प्रमुख सचिव।

संख्या-77/1239(1)/78-1-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2 प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4 निदेशक, आईआईएम, लखनऊ।
5 निदेशक, आईआईटी कानपुर।
6 निदेशक, आईआईआईटी इलाहाबाद।
7 निदेशक, आईटी-बीएचयू, वाराणसी।
8 निजी सचिव, मुख्य सचिव , उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

9 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।

10 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in